



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2018/चैत्र 20, 1940

No. 230] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2018/CHAITRA 20, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

सं. 43 /2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 357(अ).— जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 0404 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क में बढोतरी की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।

अतः अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा :—

उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, खंड I में, अध्याय 4 में टैरिफ मद 0404 10 10, 0404 10 20, 0404 10 90 और 0404 90 00 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि “40%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/107/2018- टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2018

No. 43/2018-Customs

G.S.R. 357(E).—Whereas the Central Government on being satisfied that the import duty leviable on goods falling under heading 0404 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8A of the said Customs Tariff Act, the Central Government, hereby directs that the First Schedule to the said Customs Tariff Act, shall be amended in the following manner, namely:—

In the First Schedule to the said Customs Tariff Act, in Section I, in Chapter 4, against tariff items 0404 10 10, 0404 10 20, 0404 10 90 and 0404 90 00, for the entries in column (4), the entries "40%" shall be substituted.

[F. No. 354/107/2018-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

सं. 44/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 358(ब).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7 क	0404 10 10	मट्टा, जो कि गाढ़ा, बाष्पित या संघनित, द्रव या अर्द्ध ठोस के रूप में हो	30%	-	-";
"7 ख	0404 90 00	सभी वस्तुएं	30%	-	-";

[फा. सं. 354/107/2018-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव